भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 550
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नांदेड़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

550 **डा.अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार किसी पासपोर्ट धारक की मृत्यु के बारे में संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से जनवरी 2017 में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) नाम से देश के प्रधान डाकघरों (एचपीओ)/डाकघरों (पीओ) में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था। इस पहल के अंतर्गत, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पुणे के तहत नांदेड़ जिले में एक पीओपीएसके कार्य कर रहा है। इस पीओपीएसके ने 08.04.2018 से सामान्य पासपोर्ट आवेदनों और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए पासपोर्ट सेवा संचालन शुरू किया है और अप्वाईंटमेंट अगले कार्य दिवस के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पासपोर्ट की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरपीओ पुणे के अधिकार क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों पर मोबाइल वैन भी तैनात की जाती हैं।
पासपोर्ट कार्यालय (पीओएस)/पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) स्थापित करना एक सतत गतिविधि है और यह मौजूदा पीओएस/पीएसके/पीओपीएसके से दूरी और किसी विशेष क्षेत्र से पासपोर्ट आवेदनों की मात्रा सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) मंत्रालय प्रक्रियाओं के अनुसार केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में रिक्तियों को भरने के लिए उचित उपाय कर रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2025 के लिए सहायक अधीक्षक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, आशुलिपिक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक और पासपोर्ट कार्यालयों (महाराष्ट्र और गुजरात सहित) में कार्यालय सहायक के ग्रेड में सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए कुल 447 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। विभागीय पदोन्नति समितियों और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति समय पर की जा रही है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयों (महाराष्ट्र और गुजरात सहित) में संविदात्मक आधार पर सलाहकारों, युवा पेशेवरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और मल्टी टास्किंग स्टाफ को नियुक्त किया है।

(ग) वर्तमान में सरकार के पास ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

*****